सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

31 मार्च, 2022

निर्वाचन संपन्न हो जाय, जिससे पूरे राज्य में जो स्वायत्त संस्था है वह अपने पूरे लोकतांत्रिक पद्धति में काम करे, क्योंकि हम सबों को खुद कठिनाई होती है । इसलिए हमारा प्रयास है और सदन को हम आश्वस्त करते हैं कि जो भी तकनीकी कुछ रुकावट है उसको रेगुलेट करके जल्द-से-जल्द चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन आयोग करेगा इसके लिए हम सब तत्पर हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पिछड़ों के आरक्षण के संबंध में जो उच्चतम न्यायालय का निर्देश हुआ है उस आलोक में पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति है, नगर निकाय के चुनाव के आलोक में । इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश हुआ है उस आलोक में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सदन में स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति है । क्या उस आलोक में समय पर चुनाव हो जायेगा, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव के बारे में नगर विकास एवं आवास विभाग को ही निर्णय लेना है ।

टर्न-2/यानपति/31.03.2022

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 जनवरी, 2022 को एक आदेश पारित किया गया है जिसमें संबंधित राज्य निर्वाचन आयोगों से स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षण के पूर्व ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया गया है जो विस्तार से उनका ये आदेश है तो उस आलोक में हम सब विधि विभाग एवं जो अपने विद्वान महाधिवक्ता हैं उनसे परामर्श ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही परामर्श भी मिल जाएगा और उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष: श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 136 (श्री मुरारी प्रसाद गौतम, क्षेत्र सं0-207, चेनारी)</u>

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री (लिखित उत्तर): अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक ।

2- अस्वीकारात्मक । विभिन्न जिलों को उनके पूर्व वर्षों के आच्छादन, पूर्व वर्षो की उपलब्धि एवं आगामी वर्षों के आच्छादन के लक्ष्य योजना हेतु उपलब्ध राशि तथा क्षेत्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए मौसम की अनुकूलता/जलवायु परिवर्तन की अनुकूलता आदि को ध्यान में रखते हुए जिलों को बीज वितरण कार्यक्रम के तहत उच्च गुणवत्ता का बीज मुहैया कराया जाता है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग से हमारा स्पष्ट सवाल था कि आच्छादन और उत्पादन के अनुरूप बीज मुहैया करायी जाएगी कि नहीं लेकिन जवाब गोल-मटोल दिया

गया है महोदय । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से कि क्या उत्पादन और आच्छादन का जो क्षेत्र है उसके अनुरूप बीज मुहैया करायेंगे जिलों को ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, जवाब एकदम स्पष्ट दिया गया है और जितना बीज और जिन योजनाओं में बीज की आपूर्ति हम करते हैं, उत्पादन करते हुए और उत्पादन करने के बाद भी जो बीज आपूर्तिकर्ता पैनल में हैं तो उनके द्वारा भी हम बीज आपूर्ति करवाते हैं । कुल मिलाकर के और हमलोगों ने आवश्यकता के अनुरूप बीज वितरण करने का प्रयास हमलोगों ने किया है और योजनावार आपका निर्देश हो तो हम बता सकते हैं, किन योजनाओं में कितना बीज हमलोगों ने आवश्यकता के अनुसार दिया है और वैसे कोई स्पेसिफिक शिकायत भी नहीं है ।

अध्यक्ष: आप उनको उपलब्ध करवा दीजिएगा ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं कि रोहतास जिला धान का कटोरा कहा जाता है, धान और गेहूं, मटर, चना का जो उत्पादन होता है, बिहार के अन्य जिलों की अपेक्षा रोहतास जिला में ज्यादा होता है, वहां आच्छादन क्षेत्र भी ज्यादा है महोदय, अब मैं रोहतास जिला का आंकड़ा आपको बताता हूं गेहूं उत्पादन का यह जो लक्ष्य है 5730 क्विंटल बीज वितरण का...

अध्यक्ष: पूरक क्या है, पूरक पूछिए ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: आंकड़ा देख लें महोदय तो पता चलेगा कि पूरक क्या होगा ? अभी बिना आंकड़ा के पूरक का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा । मेरा आच्छादन क्षेत्र है 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर, अदर जिले का है 6000, 68000, 75000 हेक्टेयर लेकिन वहां जो बीज का आवंटित लक्ष्य है, हमारे अनुकूल 4 गुना, 5 गुना है । हमारे यहां 5730 क्विंटल बीज वितरण किया जाता है, अन्य जिलों में 18 हजार क्विंटल, 20 हजार क्विंटल जबकि आच्छादन क्षेत्र 68000, 75000 है इनके दुगुना मेरा आच्छादन क्षेत्र है तो मेरे यहां बीज क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती है ।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, 2021-22 में जो आपका कहना है, माननीय सदस्य का महोदय तो रोहतास जिला में गेहूं के बारे में आपने कहा है तो गेहूं का 250 क्विंटल के विरुद्ध 252.4 क्विंटल की आपूर्ति हमलोगों ने की है । महोदय, कम नहीं की है, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक ही की है, मैंने कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो आप बताएं हमको । यह हमारा आंकड़ा है, पता नहीं आपने कहां से लिया है यह हमको नहीं पता है । हम इसको उपलब्ध करा देते हैं, सदन के पटल पर रख देते हैं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: आपका आंकड़ा ही मेरे पास है महोदय ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: नहीं, हमारा आंकड़ा नहीं होगा । हमारा आंकड़ा है, हम रख देते हैं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: बिहार सरकार का ही आंकड़ा है, कहें तो लेटर नंबर मैं आपको दे दूं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: अब मैं आंकड़ा दे रहा हूं और सदन पटल पर रख दे रहा हूं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, आच्छादन क्षेत्र मेरा...

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: लेटर नंबर क्या...

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: मैंने स्पष्ट कहा कि मेरा आच्छादन क्षेत्र है 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर, अन्य जिला में, मधुबनी की बात मैं ले लूं 75 हजार हेक्टेयर है यानी इसका दुगुना आच्छादन क्षेत्र मेरा है, बीज वितरण का लक्ष्य जो मेरे यहां है 5730 क्विंटल, मधुबनी में 20550 क्विंटल, आच्छादन क्षेत्र मेरे यहां ज्यादा है और बीज दूसरे क्षेत्र में जाता है तो हम जानना चाहते हैं कि आच्छादित क्षेत्र के अनुरूप जिलों को बीज मुहैया करायी जाएगी ।

अध्यक्ष: यह लास्ट, आपका तीसरा पूरक हो गया । माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, मैंने कह दिया है कि सारा मैं रख दे रहा हूं, टोटल, जितनी हमारी योजनाएं हैं बीज वितरण की उन तमाम और तमाम जिलों का, इन्होंने किसी खास जिला का तो मांगा नहीं है लेकिन है मेरे पास और मैं सब जिलों का, पूरे राज्य के सभी जिलों का मैं रख देता हूं ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब हो गया आपका तीन पूरक हो गया ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं और पूरक नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आच्छादन उत्पादन का जो लक्ष्य है उसके अनुरूप बीज मुहैया कराएंगे जिलों को ।

अध्यक्ष: मंत्री जी ने तो बता ही दिया, आंकड़ा ही रख रहे हैं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: महोदय, आंकड़ा तो मैं भी दे रहा हूं कि आच्छादन और उत्पादन के अनुरूप बीज नहीं मुहैया करायी जाती है ।

अध्यक्ष: हो गया, बैठ जाइये ।

श्री चंद्रशेखर: महोदय, प्रश्नकर्ता ने सीधे सवाल किया है कि आच्छादन और उत्पादन के अनुरूप बीज मुहैया कराएगी सरकार या नहीं यह इसपर क्लियर होना चाहिए...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री चंद्रशेखर: कि आच्छादन और उत्पादन के हिसाब से हम करेंगे कि नहीं, बस ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, आच्छादन और आवश्यकता उसके अनुरूप ही हम बीज की आपूर्ति करते हैं और बीज की आपूर्ति में कहीं कोई शिकायत नहीं है और बिल्कुल सही समय से हमलोग कर पा रहे हैं और यही नहीं हमने होम डिलीवरी भी किया है और होम डिलीवरी भी हमलोगों ने किसानों को 1 लाख 89 हजार 665 किसानों को हमलोगों

ने घर में बीज पहुंचाया है जितना उन्होंने मांगा है उतना बीज पहुंचाया है । महोदय, 47723 क्विंटल और 37 किलो बीज हमलोगों ने पहुंचाया है इसी में ।

अध्यक्षः श्री अजीत शर्मा ।

(व्यवधान)

अब लास्ट, समय कम है ।

(व्यवधान)

अब देख रहे हैं समय कम है । श्री अजीत शर्मा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-137 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र संख्या-156, भागलपुर)

श्री अजीत शर्माः अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है । सर, उत्तर ऑनलाइन नहीं है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत एन0एम0सी0जी0 द्वारा गंगा नदी के किनारे बसे 19 शहरों यथा पटना, मनेर, दानापुर, फुलवारीशरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, बक्सर, मुंगेर, बड़हिया, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, नवगछिया, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर एवं बेगूसराय हेतु सीवरेज, एस0टी0पी0 एवं I&D परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । इन परियोजनाओं हेतु संवेदकों के साथ वर्ष- 2017-18 एवं 2019 में एकरारनामा किया गया है । परियोजनाओं की समाप्ति की अवधि 18 माह से लेकर 36 माह तक की थी । इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक कारणों से विलम्ब हुआ है जो निम्नवत है- RCD, Railway, IOCL, ULBs, Electricity Department से ससमय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना । मानसून के समय में सीवरेज नेटवर्क का कार्य स्थगित रहना । कार्य हेतु भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र ससमय प्राप्त नहीं होना । कई परियोजनाओं में दो बार एन0एम0सी0जी0 के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्राप्त हुई है । परियोजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में कई मदों में विचलन हुआ है तथा आवश्यकता के अनुसार नये आइटम्स का कार्य भी करना पड़ा है, जिसके कारण प्राक्कलन पुनरीक्षित किया गया है । पटना शहर में 11 परियोजनाएं हैं जिसमें से 4 परियोजनाएं करमलीचक सीवरेज नेटवर्क, सैदपुर एस0टी0पी0 एण्ड एडज्वाईनिंग नेटवर्क, पहाड़ी सीवरेज नेटवर्क जोन-IV, बेउर एस0टी0पी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । 5 परियोजनाओं करमलीचक सीवरेज नेटवर्क, सैदपुर सीवरेज नेटवर्क, पहाड़ी एस0टी0पी0, पहाड़ी सीवरेज नेटवर्क जोन-V, बेउर सीवरेज नेटवर्क का कार्य अंतिम चरण में है जो मानसून पूर्व पूर्ण होने की संभावना है । 2 परियोजना दीघा एवं कंकड़बाग एस0टी0पी0 एण्ड सीवरेज नेटवर्क वर्ष-2023 तक पूर्ण होने की संभावना है । 18 शहरों में से 5 शहर बाढ़, मोकामा, सुल्तानगंज,